न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 69/2018 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 10.09.2018

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा निम्बाहेड़ा जरिये प्राधिकृत अधिकारी

–प्रार्थी

बनाम

श्री समरथ मल कुमावत पुत्र श्री नानू राम कुमावत ग्राम व पोस्ट मण्डलाचारण, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़

–ऋणी/अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1– श्री सतीश विजय, मैसर्स दी ओथोराइज्ड इन्फोसमेन्ट एण्ड रिकवरी एजेन्सी, बैंक प्रतिनिधि
2– श्री बगदीराम धाकड़, अधिवक्ता ऋणी

आदेश

दिनांक 05.03.2019

Web Copy - Not Official

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को लोन राशि 5.00/– लाख रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी द्वारा अपनी निम्न सम्पति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी/ऋणी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी/ऋणी की ओर से अधिवक्ता श्री बगदीराम धाकड़ ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गयी।

बैंक के प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थी को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:–

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ग्राम व पोस्ट-मण्डलाचारण, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 2632 वर्गफीट है जो कि समरथ मल कुमावत पुत्र श्री नानू राम कुमावत के स्वामित्व में है।

उक्त सम्पति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थी के जिम्मे दिनांक 07.03.2018 तक राशि रूपये 4,91,780/-रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थी द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी का मुख्य कथन यह रहा कि करीब 8-9 माह से विपक्षी के परिवार में गंभीर बीमारी होने तथा विपक्षी का भाई रोशन गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर काफी समय से ईलाज चल रहा है एवं पारिवारिक कारणों से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से ऋण राशि चुकाये जाने के लिये कुछ समय दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थी ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थी को जोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गयी सम्पति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official